राजस्थान सरकार सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक :- प. 2(1)साप्र/2/2018

जयपुर, दिनांक . 2 5 MAY 2018

-: आदेश :--

निम्नांकित अधिकारियों / कर्मचारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी की नरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवण्टित किया जाता है:—

क्र.सं.	वरीयता संख्या	नाम व पद	सेवानिवृत्ति दिनांक	आविण्टत आवास
1.	49 / 2013	डॉ0 रविन्द्र कुमार लामोरिया, सहायक आचार्य ऑथोपिडिया, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जथपुर	30.06.2039	2/5, हीराबाग, जयपुर
2.	81/2013	श्री कमल नारायण बोरान, विधि रचना अधिकारी, विधि (ग्रुप—2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.08.2025	11 / 19, गाँधीनगर, जयपुर
3.	82 / 2013	डाँ० राजेन्द्र प्रसाद बुगालिया, सहायक आचार्य सर्जरी, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.12.2040	ा / 38, गाँधीनगर, जयपुर
4.	86 / 2013	श्रा रामकुमार मीणा, निजी सचिव, कार्यालय राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, जयपुर।	31.07.2020	11/40, गांधीनगर, जयपुर
5.	88 / 2013	डाँ० अरूण कुमार शर्मा, सहायक आचार्य अस्थि रोग विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल, जयपुर।	28.02.2040	2,/6, हीराबाग, जयपुर
6.	89 / 2013	डाँ० अभित गोयल, सहायक प्रोफेसर (सर्जरी), सवाई मानिसंह चिकित्सालय, जयपुर।	30.04.2039	5/६, हीरानाग, जयपुर
7.	91/2013	श्री प्रायीश आश्वीर, सहायक आचार्य कार्यालय आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, गैस्ट्रोएन्ट्रॉलोजी विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	28.2.2035	ा / 50, गाँधीनगर, जयपुर
8.	93 / 2013	श्री विष्णु दत्त गुप्ता, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक विधि,जयपुर, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, विधि, जयपुर।	31.7.2023	704, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर
9.	93′ए′ ∕ 13	श्री प्रदीप रिणवा, आर.पी.एस., अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सोआईडी (सीवी), जयपुर	30.11.2025	ग–56, एवीएस, गाँधीनगर, जयपुर
10.	94/2013	श्री बी.एल. भाटी, अधिशाषी अभियन्ता, सानिवि, विशेषाधिकारी, सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय, उत्यपुर	31.12.2028	п−58, एवीएस, गाँधीनगर, जयपुर
11.	95 / 2013	श्री सांवर मल पारीक, उप विधि परामर्शी, प्रारम्भिक शिक्षा (विधि प्रकोष्ट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.10.2021	11—65, एवीएस, गाँधीनगर, जयपुर
12.	3/2014	श्री योगेश कुमार, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), कार्यालय सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कम्यूनिकेशन विभाग, राजस्थान, जयपुर	30.4.2043	6/5, हीराबाग, जयपुर
13.	4/2014	डाँ० पंकज बेनीवाल, सहायक आचार्य, नेफोलॉजी, सवाई मानसिंह विकित्सालय, जयपुर	31.12.2038	एम–६, गाँधीनगर, जयपुर
14.	5/2014	डॉ० मनोज कुमार, सहायक आचार्य (सर्जरी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	31.7.2040	एन-24, गाँधीनगर, जयपुर
15.	·	श्री उमेश चन्द जोशी, एसीपी (उप निदेशक), कार्यालय सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कम्यूनिकेशन विभाग, राजस्थान, जयपुर	31.7.2040	100, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर
16.	7/2014	श्री विश्वास ग्प्ता, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), कार्यालय सचिव, सूचना प्रौद्योगिक एवं कम्यूनिकेशन विभाग, जयपुर	31.12.2041	204. मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर
17.	10 / 2014	डाँ० पंकज कुमार गोयल, चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय आचार्य एवं विभागाध्यक्ष सामुदायिक चिकित्सा विभाग, रावाई मानरिष्ट िकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	30.11.2038	205, गॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयप्र

18.	13/2014	श्रीमती ऋतु नन्दा, संयुक्त जिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधार्या निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर	31.12.2025	303, माउल द्वारान, मालवीय नगर, जयपुर
19.	15 / 2014	श्रीमती मुनेश लाम्बा, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी ओर संचार विभाग, राजस्थान, सरकार, जयपुर।	31.7.2043	601, भाँडल टाउन, मालनीय नगर, जयपुर
20.	20/2014	श्री रागगोपाल पारीक, मुख्य लेखाणिएडी, वित्त (जी एण्ड टी) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	30.6.2024	305, गाँउल टाउन, गालवीय नगर, जयपुर
21.	22 / 2014	डॉ० सुनील कुमार महावर, सहायक आचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जयपुर।	31.5.2038	403. गॉंडल टाउन, गालवीय नगर, जयपुर
22.	26 / 2014	श्रीमती जयश्री थानवी, सहायक आचार्य, डेण्टल रेडियोलॉजी विभाग, कार्यालय आचार्य, राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालग, जयपुर	31.7.2042	603, भांडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर
23.	27 / 2014	श्री भवानी शंकर शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता (जांच), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	31.7.2028	604, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर
24.	28 / 2014	डॉ० मनोज कुमार सोनी, सहायक आचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	30.4.2040	605, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर
25.	33 / 2014	डाँ० मुकेश कुमार खींची, सहायक आचार्य, (पैथॉलोजी विभाग), सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	30.11.2041	702, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर

शर्ते :-

- आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अविध में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- 3 सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- 4 जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- 5. स्वयं तथा पत्नी / बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- 6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी—चूँिक उक्त अधिकारियों / कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में उपवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- 7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी डोगी:--
 - 1 आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आतित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 - 2. आवेदन प्रस्तंत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं / पित / पित व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित / क्रय नहीं किया है।
- 8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।
- 9. क्रम संख्या 8—11 एवं 15—25 पर अंकित आवंटी से कॉमन सुविधा शुल्क के पेटे राशि रूपये 300 / —(अक्षरे तीन सौ रूपये मात्र) सीधे इनके वेतन से कार्ट जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

50

(गौरव बजाड़) संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :--

- ी. जिला कलनटर, जयपुर।
- 2. संयुक्त शासन सचिव, कार्गिक (क-4/ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- 3. आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लंग की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
- 4. प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूती कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
- 5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण दे कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
- 6. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- 7. अधीक्षक / प्राचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
- 8. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- 9. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (सीबी), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष मे जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
- 10. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यिमक विधि, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवटीगण के वेतन से नियभानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- 11. अधीक्षक, राजकीय दन्त चिकित्सालय एवं महाविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
- 12. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
- 13. वित्तीय सलाहकार कार्मिक (ग) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- 14. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष मे जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
- 15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 16. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
- प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप—3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर— कृपयां उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रप्त करावें।
 - 18. सामान्य प्रशासन (ग्रूप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपूर।
 - 19. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जग्णुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् हो आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
- 20. अधिशाषी अभिथन्ता, जन स्वारथ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
- 21. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
- 22. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गाँधीनगर/हीराबाग, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
- 23. संबंधित अधिकारी / कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पन्न के पीछे दिये गये प्रपन्न की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड—तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
- 24. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
- 25. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजनीय आवास के आवर्षी रालम्न प्रपत्त में शपभपूर्वक सूचना अकित करते अपने नियुक्ति अधिकारी/ विभागण्यक्ष से प्रमाणित कराते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग की रामधित चौकी में आवटित राजकीय आवास का कब्जा लेते सुमय प्रस्तुत करगे। सम्रोज सहायक अभियन्ता द्वारा आबटी से प्राप्त जनत प्रपत्न अनुसार आगटण हेतु पछ होने पर ही कब्जा प्रदान किया आवेगा तथा आवटन आदश जारी । । एन क 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र जावश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेगे।

प्रपन्न में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूतनीय होगा।

प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	
2.	वर्तभान पद एवं पदस्थान विवरण	
3.	जन्म दिनांक	· ·
4.	सेवानिवृत्ति दिनांक	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5	जयपुर शहर में राजकीय आवास हिंदु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से	,,,
	पदस्थापित है? जथपुर में आवास हेतु आवदेन किया जाने के पश्चात्	
	लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे है। इस मध्य में स्वयं का जयपुर	
	से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
6.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पित व उन पर आश्रित किसी	
	सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

(1)

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर

विभागाष्यक्ष /आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर



राजस्थान सरकार सामान्य प्रशासन(ग्रुप–2)विभाग

क्रमांक :- प. 3(1)साप्र / 2 / 2016 पार्ट

जयपुर, दिनांक 25 MAY 2018

-: आदेश :-

डॉ. शेख मो. अफजल, वरिष्ठ प्रदर्शक (पैथोलोजी), सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को इनकी तृतीय श्रेणी की वरीयता संख्या 22/2017 व सेवानिवृत्ति दिनांक 30.04.2039 है, के आधार पर राजकीय आवास आवण्टन नियम, 1958 के नियम—27 के प्रावधान के अन्तर्गत शिथिलता प्रदान करते हुए ''आउट ऑफ टर्न'' के आधार पर नियमानुसार किराया भुगतान की शर्त पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास संख्या ए—90, जवाहर नगर, जयपुर का निम्न शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवण्टन किया जाता है :—

शर्ते :-

- 1. आवास का कब्जा आवंटन / रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- 2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।

3 सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।

4 जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।

5. स्वयं तथा पत्नी / बच्वों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास वन जाने / क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।

6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी—चूँकि उक्त अधिकारियों / कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।

7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घेषणा करनी होगी:-

- आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
- 2. आवेदन प्रस्तंत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
- 8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

्रीरव बजाड़) संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित है :--

 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग को उनकी आई.डी. संख्या 284/एम/जीएडी/2017 दिनांक 25.04.2018 के क्रम में सूचनार्थ।

2. जिला कलक्टर, जयपुर।

- 3. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- 4. निर्देशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।

5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।

8. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप—3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।

7. सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

8. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

9. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वारध्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।

10. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।

11. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गाँधीनगर, जयपुर।

12. श्री शेख मो. अफजल, वरिष्ठ प्रदर्शक, सवाई मानसिंह चिकित्सलाय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।

13. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।

14. रक्षित पत्रावली।

2

संयुक्त शासन सचिव